eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Vol. 1, Issue 11, Nov 2022

ग्रामीण विकास में नियोजन की भूमिका का विश्लेषणात्मक अध्ययन

[1]डॉ0 रमन प्रकाश
[1]सहायक प्राध्यापक, भूगोल विभाग, भारतीय महाविद्यालय, फर्रूखाबाद, उत्तर प्रदेश, भारत

Abstract

किसी क्षेत्र के नियोजन में उस क्षेत्र के भौगोलिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक तत्वों का अध्ययन किया जाता है। भूगोल के अन्तर्गत क्षेत्रीय नियोजन, न केवल क्षेत्रीय संसाधनों का अध्ययन और उनकी समस्याओं पर प्रकाश डालता है बल्कि उस क्षेत्र के प्राकृतिक, भौतिक और मानवीय कारकों के बीच अन्तर्सम्बन्ध का अध्ययन भी करता है। भारत में क्षेत्रीय विकास एवं नियोजन का दायरा सीमित है क्योंकि प्रत्येक क्षेत्र या राज्य का नियोजन उस क्षेत्र विशेष की राजनैतिक सत्ता द्वारा निर्धारित होता है। भारत में क्षेत्रीय असमानताओं के कारण भी नियोजन में समस्यायें आती है। स्वतंत्रता के समय भारत में प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति उपभोग, शिक्षा व स्वास्थ्य एवं आधारभूत संरचना के रूप में असमानताएं व्यापक रूप लिए हुए थीं किन्तु क्षेत्रीय असंतुलन को घटाने का कार्य दो प्रमुख संस्थाओं वित्त आयोग और योजना आयोग (वर्तमान में नीति आयोग) को सौंपा गया। दोनों संस्थाओं ने नियोजन के प्रत्येक स्तर में मौजूद समस्याओं के लिए नियम/कानून बनाकर उसे दूर करने का प्रयास किया। क्षेत्रीय नियोजन के निम्न स्तर, ग्राम पंचायत को सुदृढ़ बनाने के लिए संविधान में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की वकालत की गयी, तथा सत्ता विकेंद्रीकरण पर जोर दिया गया। विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में क्षेत्रीय विकास की कई योजनाएं क्रियान्वित की गयी– सामुदायिक विकास कार्यक्रम, सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम, कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम, पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाएं, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, जवाहर रोजगार योजना, भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम आदि।

सार शब्द :– क्षेत्रीय संसाधन एवं नियोजन, क्षेत्रीय असमानताएं, पंचायती राज व्यवस्था, पंचवर्षीय योजनाएं।

Introduction

स्थानीय स्तर पर समस्याओं और मुद्दों के समाधान के लिए प्रस्तुत योजना प्रक्रिया ही क्षेत्रीय विकास नियोजन है। लोगों का कल्याण करना और क्षेत्रीय विकास करना ही क्षेत्रीय विकास नियोजन की प्राथमिकता है। स्थानीय उत्पादों एवं सेवाओं को सुदृढ़ करना, सामाजिक सेवाओं एवं सुविधाओं को बनाये रखना, स्थानीय पर्यावरण को स्वच्छ और हरित बनाए रखना उसके प्रमुख प्रयोजन है। नियोजन के निम्न स्तर में लोगों की सहभागिता बढ़ाकर सतत् विकास को बढ़ावा देना ही स्थानीय विकास नियोजन का लक्ष्य होना चाहिए। स्थानीय क्षेत्र शब्द का प्रयोग पारिस्थितिकी, अर्थव्यवस्था और समाज में भिन्न–भिन्न तरह से किया जाता है। स्थानीय क्षेत्र की भौतिक और सांस्कृतिक दोनों विशेषताएं होती हैं, जैसे कि भूदृश्य, परिवेश, स्थानीय उत्पाद, लोक नृत्य और दस्तकारी इत्यादि। भारत गांवों का देश है। इसकी आत्मा गांवों में निवास करती है। देश की कुल जनसंख्या का तीन चौथाई गांवों में निवास करता है। ग्रामीण परिवेश का समग्र अध्ययन करके ही देश का वास्तविक विकास कर सकते हैं, क्योंकि गांव के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि और कृषि पर आधारित लघु व

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Vol. 1, Issue 11, Nov 2022

कुटीर उद्योग धंधे हैं। कृषि, भारतीय अर्थव्यवस्था की मुख्य रीढ़ मानी जाती है। देश के राष्ट्रीय उत्पादन में कृषि एवं इस पर आधारित उद्योगों का योगदान 40% है। ग्रामीण परिवेश में अधिकतर ग्रामीण या तो लघु व सीमांत कृषक हैं या फिर भूमिहीन मजदूर के रूप में कार्य कर रहे हैं । यह एक वास्तविकता है कि ग्रामीण आर्थिक दृष्टि से कमजोर होते हैं और गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने के लिए मजबूर हैं । भारत के समग्र विकास के लक्ष्य की परिभाषा ग्रामीण विकास के संदर्भ के बिना कदापि नहीं की जा सकती। इसी कारण भारत के योजनाबद्ध विकास की प्रक्रिया प्रारंभ होने के बाद ही ग्रामीण विकास के लिए विभिन्न कार्यक्रम और योजनाएं संचालित की गई। यह महसूस किया गया कि ग्रामीण विकास से देश की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। इस धारणा के फलस्वरुप ही विशिष्ट कार्यक्रम और योजनाएं क्रियान्वित की गई। महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज की परिकल्पना पंचायती राज के माध्यम से साकार होती प्रतीत हो रही है। 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही उनकी इस परिकल्पना पर पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से कार्य प्रारंभ कर दिया गया था। प्रत्येक पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ग्रामीण विकास हेतु बजट निर्धारित किया गया और हर संभव कोशिश की गई कि ग्राम स्वराज अस्तित्व में आए। ग्रामीण विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता ही ग्राम स्वराज के अपने सपने को पूरा कर सकती है। गांव में भारत की आत्मा निवास करती है और जब तक भारत में ग्रामीण विकास की तेज लहर न हो ग्रामीण विकास की दृष्टि से पिछड़ा ही सिद्ध होगा। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के समन्वय से पंचवर्षीय योजनाओं का सफल संचालन होता आ रहा है तथा भारत में ग्रामीण विकास निरंतर उन्नति की ओर अग्रसर हो रहा है।

24 अप्रैल 1992 का दिन भारतीय लोकतंत्र और भारतीय राजनीति के इतिहास में एक अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि इसी दिन 73वें संविधान संशोधन के द्वारा भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक आधार प्राप्त हुआ। इसके बाद ग्रामीण विकास के जैसे पंख लग गए क्योंकि ग्राम पंचायतों के माध्यम से तेज गति से ग्रामीण विकास होने लगा और अनेकों भारतीय ग्रामीणों ने लोकतंत्रात्मक मूल्यों को मजबूती प्रदान करने के लिए स्थानीय स्तर पर पंच, सरपंच के रूप में चुनाव में विजयी होने के बाद अन्य लोगों को नेतृत्व प्रदान करना प्रारंभ कर दिया। निःसंदेह पंचायती राज ने ऐसे अनेकों ग्रामीण पुरुषों और महिलाओं को शासन व्यवस्था में भागीदारी करने का अवसर प्रदान किया, जिनकी नेतृत्व क्षमता अवसर के अभाव में निरर्थक सिद्ध हो रही थी। जातिगत आरक्षण ने आरक्षित वर्ग के सदस्यों को भारतीय राजनीति में भागीदारी करने का अवसर प्रदान किया। पंचायती राज्य का वर्तमान परिदृश्य उत्साहवर्धक है क्योंकि अब सभी जातियों के सदस्यों को पंचायती राज की सफलता के लिए एक साथ कार्य करते हुए देखा जा सकता है। 73वें संविधान संशोधन में पंचायती राज की निम्नलिखित त्रिस्तरीय व्यवस्था प्रदान की गई – 1. ग्राम स्तरीय पंचायत व्यवस्था, 2. ब्लॉक स्तरीय पंचायत व्यवस्था, 3. जिला स्तरीय पंचायत व्यवस्था।

देश के विकास की प्रथम सीढ़ी ग्राम पंचायत है, जो विकास के लिए अपरिहार्य है। गांव का विकास किए बिना यह संभव नहीं है, क्योंकि लघु/कुटीर उद्योग गांव के विकास की आधार स्तंभ है। इसी के साथ सहकारिता को नागरिकों के विकास का मूल मंत्र माना गया। ग्राम पंचायत व सहकारिता दोनों साथ मिलकर गांव का सर्वांगीण विकास कर सकते है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान और औपनिवेशिक, पिछड़ी हुई, अर्द्धसामंती, गतिहीन अर्थव्यवस्था

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Vol. 1, Issue 11, Nov 2022

पूंजी की कमी से प्रभावित थी। आजादी तक भारतीय अर्थव्यवस्था का ढांचा चरमराया हुआ था। देश में संसाधनों के भंडार तो पर्याप्त थे, लेकिन उनके सदुपयोग के लिए तकनीकी का अभाव था। उस समय सोने की चिड़िया कहलाने वाले देश की अर्थव्यवस्था डगमगा सी गई थी। यहां के कच्चे माल को विदेशों में भेज कर माल तैयार कर वापस अधिक मूल्य में भारत में भेजा गया।

आधुनिक समय में भारतीय सहकारी अधिनियम 1904 को ग्रामीण विकास का महत्वपूर्ण क्रांतिकारी कदम माना जाता है। इसी क्रम में काश्तकारी अधिनियम, मुद्रा उधार अधिनियम, कृषि वस्तुओं का विपणन, भूमि की चकबंदी, किसान क्रेडिट कार्ड, मिट्टी जांच को भी ग्रामीण विकास की श्रेणी में वर्गीकृत किया जा सकता है। ब्रिटिश कालीन दस्तावेजों और रिपोर्टों को देखने से ज्ञात होता है कि इस काल में कुछ प्रारंभिक प्रयास हुए थे, जो निम्न हैं –

- सिंचाई आयोग 1901
- कृषि साही आयोग 1928
- श्रम संबंधी सहयोग 1931

इसके अलावा ब्रिटिश सरकार ने लोगों की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक व राजनीतिक जीवन को सुधारने के लिए अनेक प्रयास किए, लेकिन यह सब ग्रामीण क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने में असमर्थ रहे तथा वह ग्रामीण जनता का दिल नहीं जीत सके। ब्रिटिश सरकार के इन कानूनों में कुछ प्रमुख कानून इस प्रकार हैं –

1. सती प्रथा उन्मूलन अधिनियम 1829
2. हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856
3. कृषि ऋण सहायता अधिनियम 1879
4. सहकारी समिति अधिनियम 1904

अंग्रेजों के समय भारतीय समाज में इन अधिनियम को लागू करने के बाद भी ग्रामीण विकास सही दिशा में नहीं हो पा रहा था क्योंकि गांव में अंधविश्वास फैला हुआ था। इसके बाद भारतीय समाज सुधारकों ने ग्रामीण विकास के लिए अनेक प्रयत्न किए और कई योजनाएं प्रारंभ की, जो निम्नवत् हैं –

1. श्रीनिकेतन परियोजना – 1921
2. मार्टडम परियोजना – 1921
3. गुड़गांव परियोजना – 1927
4. बड़ौदा परियोजना – 1921
5. सेवाग्राम परियोजना – 1936
6. नीला खेड़ी परियोजना – 1943
7. फिरका परियोजना – 1943
8. इटावा परियोजना – 1948

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Vol. 1, Issue 11, Nov 2022

ग्रामीण विकास का कृषि एक महत्वपूर्ण अंग है, इसके बिना गांव का विकास संभव नहीं है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों की अधिकांश जनसंख्या का मुख्य व्यवसाय कृषि है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कृषि को तृतीय पंचवर्षीय योजना में अधिक प्रमुखता दी गई तथा इस योजना में अर्थव्यवस्था को आर्थिक गतिशीलता की अवस्था तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया। ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कृषि योजनाओं में पंचायतों व सहकारी समितियों को माध्यम बनाया गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरांत भारत सरकार द्वारा अनेक योजनाएं संचालित की गई। स्वतंत्रता के पश्चात् ग्रामीण विकास के लिए सामुदायिक विकास योजना से अब तक विभिन्न परियोजनाएं बनायी गयी। ग्रामीण विकास के लिए केन्द्र व राज्य शासन द्वारा प्रायोजित करीब 150 योजनाओं का निर्माण, कियान्वयन व मूल्यांकन किया जा चुका है और कुछ योजनाएं आज भी संचालित की जा रही है। इन योजनाओं का प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण जनता में प्रगतिशील दृष्टकोण पैदा करना, सहकारी तरीके से काम करने की आदत डालना, उत्पादन बढ़ाना व रोजगार में वृद्धि करना था। सामुदायिक विकास का अभिप्राय सम्पूर्ण समाज का विकास करना और उसे आत्मनिर्भर बनाने से है। भारत सरकार के अतिरिक्त विभिन्न राज्यों में भी ग्रामीण विकास के लिए अनेक योजनाएं एवं कार्यक्रम शुरू किये गये है, इनको प्रभावशाली तरीके से सफल बनाने के लिए पंचायती राज व्यवस्था से जोड़ने की व्यवस्था है। महाराष्ट्र राज्य में ज्यादातर योजनाओं एवं कार्यक्रमों ने गांव की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, फिर भी यही कहा जा सकता है कि कुछ कारणों से ग्रामीणों को इन योजनाओं व कार्यक्रमों से अपेक्षित कार्य नहीं मिल पाया है।

सामुदायिक विकास योजना (1950)

ग्रामीण विकास को गति देने के उद्देश्य से तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए भारत सरकार द्वारा नियोजन की प्रक्रिया अपनाई गई। स्वतंत्रता के बाद इस दिशा में सन् 1950 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। इसी क्रम में पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई और गांव में पिछड़े लोगों का विकास करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी तथा गांव में सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक एवं राजनैतिक परिवर्तन के लिए अनेक योजनाएं लाई गई। सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में प्रारंभ किया गया, इसका उद्देश्य जाति उन्मुख समाज को सामुदायिक उन्मुख समाज में बदलना था। प्रारंभ में राष्ट्रीय विस्तार योजना की शुरुआत की गई और बाद में प्रत्येक क्षेत्र में समाज के विकास के लिए राष्ट्रीय स्तर पर योजनाएं संचालित की गई। सामुदायिक विकास योजना के उद्देश्य के अनुसार चिन्हित किए गए क्षेत्र निम्नवत् हैं –

- रोजगार में वृद्धि
- प्रत्येक कार्यों में सहकारिता की भागीदारी प्रदान करना
- ग्रामीण जनता में प्रगतिशील रवैया विकसित करना
- उत्पादन बढ़ाना
- नई तकनीक अपनाकर अधिकाधिक विकास करना
- सिंचाई का विकास करना

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Vol. 1, Issue 11, Nov 2022

- शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना
- भूमि सुधार
- सड़क निर्माण करना आदि

पर्यावरण सुरक्षा, वृक्षारोपण, गरीबों को सस्ते मकान मुहैया कराना, ग्रामीण उद्योगों का विकास करना इत्यादि कार्यक्रम सम्मिलित कर, इन कार्यक्रमों की जिम्मेदारी राज्य सरकारों पर डाली गई। इन कार्यक्रमों को लागू करने के लिए जिला स्तर पर जिला परिषदों की स्थापना, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समितियों तथा ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायतों की स्थापना की गई और उनको प्रमुख बनाकर इन योजनाओं का क्रियान्वयन किया गया ।

पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण विकास :

इन योजनाओं के अंतर्गत नियोजित अर्थतंत्र के माध्यम से ग्रामीण विकास नीतियों को लागू किया गया था, ताकि देश में व्याप्त सामाजिक, आर्थिक विषमता के परिप्रेक्ष्य में पिछड़ों एवं वंचित लोगों को विकसित किया जा सके :–

1. प्रथम पंचवर्षीय योजना (1951–56) : इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण विकास योजना के लिए मुख्य रूप से शोषितों, कृषि तथा सामुदायिक विकास, सिंचाई योजना, बिजली, लघु उद्योगों जैसे चार लक्ष्यों को रखा गया था, जिसमें कुल योजना व्यय का कम से कम 39 प्रतिशत ग्रामीण विकास कार्यक्रम में खर्च करने का लक्ष्य था, इस योजना से प्रति व्यक्ति आय में 11 प्रतिशत तथा खाद्यान्न उत्पादन में रिकार्ड वृद्वि हुई।

2. द्वितीय पंचवर्षीय योजना (1956–61) : इस योजना में प्रथम पंचवर्षीय योजना के लक्ष्यों को ही रखा गया, ताकि ग्रामीण क्षेत्र का समुचित विकास हो सके तथा प्रथम पंचवर्षीय योजना में व्यय राशि का 152 प्रतिशत की वृद्धि की गई।

3. तृतीय पंचवर्षीय योजना (1961–66) : इस योजना के अतंगर्त उद्योग और खनिज, परिवहन संचार, सामाजिक सेवाएं एवं अन्य योजनाओं को रखा गया। इस योजना काल में ग्रामीण विकास पर 1995 करोड़ रूपये व्यय किये गये, जो कि कुल योजना व्यय का 23 प्रतिशत था, किन्तु दुर्भाग्यवश इस योजना काल में देश को प्राकृतिक आपदा सूखा तथा सन् 1962 में चीन एवं सन् 1965 में पाकिस्तान से युद्व का सामना करना पड़ा। अतः इन आपदाओं के कारण इस योजना का वांछित परिणाम प्राप्त नहीं हो सका। तृतीय पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के साथ–साथ गहन कृषि विकास कार्यक्रम एवं गहन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम अपनाया गया।

गहन कृषि विकास कार्यक्रम

यह कार्यक्रम 1960–63 में चुने गए 7 जिलों में लागू किया गया दूसरे चरण में 12 जिलों को और शामिल किया गया उसके बाद 18 जिले और शामिल कर लिए गए। इसका मुख्य उद्देश्य पैकेट के रूप में सभी उपलब्ध तकनीकों को अपनाना था ताकि फार्म के स्तर पर ही उत्पादन का उच्च स्तर प्राप्त किया जा सके।

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Vol. 1, Issue 11, Nov 2022

गहन कृषि कार्यक्रम

यह कार्यक्रम सघन कृषि विकास कार्यक्रम के संदर्भ में अपनाई गई तकनीकों से 1964–65 में 117 जिलों के 1956 विकास खंडों में चलाया गया।

4.चतुर्थ पंचवर्षीय योजना (1969–74) : इस योजना के अन्तर्गत कृषि, शिक्षा, वैज्ञानिक शोध, स्वास्थ्य कल्याण एवं परिवार नियोजन कार्यक्रम को रखा गया था, किन्तु ग्रामीण भारत की रीढ़, कृषि होने के कारण, इसे प्रमुखता से लिया गया था तथा वृहद, लघु व कुटीर उद्योगों पर व्यय राशि के प्रतिशत को कम करके, परिवार नियोजन कार्यक्रम पर पर्याप्त राशि का व्यय किया गया था। तृतीय व चतुर्थ योजना के अंतर्गत ग्रामीण विकास के संदर्भ में किए गए कार्य एवं योजनाएं निम्न हैं –

1. ग्रामीण रोजगार योजना – 1971
2. जनजाति क्षेत्र विकास योजना – 1972
3. न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम – 1975

चौथी पंचवर्षीय योजना में प्रत्येक गरीब व्यक्ति को दो वक्त की रोटी उपलब्ध कराने के लिए फूड फॉर वर्क, जिसका बाद में नाम बदलकर अंत्योदय रखा गया, चलाया गया। तत्कालीन प्रधानमंत्री ने व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया और गरीबी हटाओ का नारा दिया इससे समाज में जागरूकता का प्रसार हुआ और अपने क्षेत्र के प्रति लोगों की धारणा बदली।

5. पांचवीं पंचवर्षीय योजना (1974–79) : इस योजना के अन्तर्गत श्रम कल्याण एवं दस्तकारी, एकीकृत ग्रामीण विकास, पहाड़ी आदिवासी क्षेत्र विकास कार्यक्रम लागू किये गये थे तथा इन योजनाओं में कुल योजना व्यय का 24 प्रतिशत (राशि 9334 करोड़ रूपये) खर्च किये गये थे।

6. छठी पंचवर्षीय योजना (1980–85) : इस योजना में पोषण आहार, ग्रामीण आवास, गरीबी उन्मूलन की योजनाओं को लागू किया गया था, इस योजना में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर 26 प्रतिशत योजना व्यय राशि का (28076 करोड़ रूपया) खर्च किया गया तथा इसी योजना काल में आजादी के बाद पहली बार ग्रामीण विकास की अवधारणा को दृढ़ता के साथ स्वीकारा गया था। परिणामस्वरूप ग्रामीण निर्धनता उन्मूलन हेतु एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई.आर.डी.पी.) का प्रारंभ इसी योजना काल में हुआ तथा इसी योजना काल में राष्ट्रीय ग्राम रोजगार कार्यक्रम भी प्रारंभ हुआ था। अतः इस योजना काल को ग्रामीण विकास की प्रधान योजना काल कहा जाता है।

7. सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985–91) : इस योजना में पुनः पोषण आहार, ग्रामीण आवास योजना को रखा गया था तथा ग्रामीण विकास हेतु कुल योजना व्यय का 24 प्रतिशत (राशि 51349 करोड़ रूपये) व्यय किये गये थे।

8. आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992–97) : इस योजना में पहली बार ग्राम विकास हेतु पृथक राशि आबंटित की गई थी तथा सम्पूर्ण योजना में ग्राम विकास तथा गरीबी उन्मूलन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी।

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Vol. 1, Issue 11, Nov 2022

9. नौवीं पंचवर्षीय योजना (1997–02) : इस योजना काल में जनभागीदारी के माध्यम से ग्रामीण विकास कार्यक्रम क्रियान्यवित किया गया था तथा रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराने एवं गरीबी उन्मूलन के लिए कृषि और ग्रामीण क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई थी। इस योजना काल में ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए 42874 करोड़ रूपये आवंटित किये गये थे।

10. दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002–07) : इस योजना के अन्तर्गत सभी गांवों में पीने का पानी उपलब्ध कराना एवं ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार पर विशेष ध्यान दिये जाने का लक्ष्य रखा गया था। अतः इस योजना में ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए धन का आवंटन बढ़ाकर 76,774 करोड़ रूपये कर दिया गया था।

11. ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007–12) : इस योजना के अन्तर्गत 2009 तक देश के सभी गांवों में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को विद्युत व्यवस्था सुनिश्चित कर चौबीसों घंटें विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था करना तथा समस्त गांवों में 2012 तक स्वच्छ पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराते हुये निर्धनता अनुपात में 15 फीसदी की कमी लाना था।

12. बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2012–17) : इस योजना के अन्तर्गत समस्त ग्रामीण क्षेत्रों को मुख्य मार्गो से जोड़ कर आवागमन की उपलब्धता, विद्युत व्यवस्था एवं 100 दिन की रोजगार गारंटी योजना लागू कर ग्रामीण बेरोजगारों का जीवन स्तर ऊँचा करने के उद्देश्य से कार्यक्रम संचालित हैं।

वर्ष 1979 में केंद्र सरकार की ओर से समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत उद्योग, नौकरी एवं व्यापार उपागमों को जोड़ा गया तथा खादी और ग्रामोद्योग को भी सशक्त बनाने पर बल दिया गया, जिसके अंतर्गत अप्रैल 1981 में जिला ग्रामीण विकास संस्था की स्थापना की गई। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के मुख्य अवयव आईएसबी के अलावा ग्रामीण बेरोजगार युवाओं के लिए **ट्राइसम** नामक योजना तथा ग्रामीण बेरोजगार महिलाओं के लिए **द्वारका** नामक योजना कार्यक्रम भी लागू किया गया

देश में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले समूहों को सामाजिक सेवाओं तथा न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के तहत मदद किया जाना जिससे उनका रहन सहन और जीवन स्तर में सुधार हो सके, छठी पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण विकास के इन तत्वों पर बल दिया गया। ग्रामीण विकास योजना के तहत अनेक कार्यक्रम घोषित किए गए –

1.राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम

2.समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम

3.जवाहर रोजगार योजना

4.रेगिस्तान विकास कार्यक्रम

5.ऑपरेशन फ्लड

6.ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Vol. 1, Issue 11, Nov 2022

7.कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम

उपर्युक्त सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए साथ में योजना के बीच में ही तत्कालीन प्रधानमंत्री ने रोजगार कार्यक्रमों को बढ़ावा देने और सामाजिक संपत्ति अर्जित करने के उद्देश्य से एनआरएफ तथा आरएलईपी को मिलाकर एक नई योजना चलाई जिसे जवाहर रोजगार योजना कहते हैं इसी अवधि में पंचायती राज संस्थाओं को प्रभावी बनाने के लिए उन्हें संवैधानिक दर्जा देने का संकल्प दोहराया गया। आजादी से आज तक ग्रामीण विकास के विविध कार्यक्रमों, योजनाओं, पंचवर्षीय योजनाओं के मूल्यांकन से स्पष्ट होता है कि विभिन्न योजनागत कार्यक्रमों के अंतर्गत, अपेक्षित रूप से अधिक विकसित जनसंख्या समूह और अधिक विकसित हुआ है, जबकि विस्तृत ग्रामीण क्षेत्र का संरचनात्मक परिवर्तन तो हुआ है, किन्तु पर्याप्त नहीं हैं, क्योंकि विभिन्न विकास कार्यक्रमों के तहत प्रदत्त सुविधाओं का लाभ देश में व्याप्त सामाजिक, आर्थिक विषमता, सामन्तवाद और जमींदारी के अवशेषों का होना, राजनीतिज्ञ, अफसरशाही एवं प्रजातांत्रिक संस्थाओं में अवैधानिक प्रतिनिधित्व, जाति, धर्म, परिवारवाद, माफिया इत्यादि का प्रभाव होने के कारण लगभग 80 प्रतिशत तक का लाभ कुलीन वर्ग को ही मिला है, क्योंकि विभिन्न योजनाओं के निर्माण, निर्णय, कार्यान्वयन वाली संस्थाओं में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण एवं विकास खंड समिति और ग्राम पंचायत में क्षेत्र विशेष की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक शक्तियों के गठजोड़ का व्यापक प्रभाव है, जिसके कारण विकास कार्यक्रम निचले स्तर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। इन समस्त योजनाओं का लक्ष्य ग्रामीण जनता को बेरोजगारी से मुक्त कर गरीबी की रेखा से ऊपर उठाना था, किन्तु यह हमारा दुर्भाग्य या विडम्बना ही है कि हमें इन योजनाओं से आशातीत सफलता प्राप्त नहीं हो सकी है। हम अभी भी देश के अधिकांश ग्रामीण जनसंख्या को मूलभूत सुविधाओं–सड़क, बिजली, समुचित शिक्षा, चिकित्सा, सड़क एवं शुद्ध पेयजल, वैज्ञानिक, तकनीकी एवं औद्योगिक समृद्धि, का समुचित लाभ आजादी के 75 वर्ष बाद भी उपलब्ध नहीं करा पाये हैं।

संदर्भ सूची :–

1. गांधी, महात्मा : विलेज स्वराज, नव–जीवन पब्लिकेशन हाउस, अहमदाबाद, 1962, पृ.–13।
2. दयाल, तेजमल : भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, सुरभि प्रकाशन, कौशलपुरी कानपुर 1961, पृ.–68।
3. राय, भक्त पाडा : पंचायतीराज एंड रुरल डेवलपमेंट, अभिजीत पब्लिकेशन, दिल्ली, 2008,पृ. – 124।
4. भारत –2015, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, पृ.– 684।
5. बोहरा, जयंत कुमार : भारत में ग्रामीण विकास योजना की भूमिका, ग्रामीण विकास समीक्षा, अर्धवार्षिक हिन्दी पत्रिका, जुलाई–दिसम्बर 2011, पृ– 70।
6. वी.सी.एवं पुष्पा सिन्हा : आर्थिक विकास एवं नियोजन, बसुन्धरा प्रकाशन, गोरखपुर।
7. प्रतियोगिता दर्पण : भारतीय अर्थव्यवस्था उपकार प्रकाशन जयपुर 2004,पृ.–135।
8. कुरूक्षेत्र, अगस्त 2004. पृ– 17।
9- डॉ वीरेन्द सिंह यादव : इक्कीसवीं सदी का भारत, ओमेगा पब्लिकेशन, नई दिल्ली–2010।